न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 48/2022

अपीलांट्स – *बनाम*

1. हनुमान पुत्र रेखाराम
2. बाबुलाल पुत्र केहरा
3. भला पुत्र बस्ता जाति जाट

निवासी खारावाला, पोकरासर तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंट्स –

1. अमराराम पुत्र भैराराम
2. फुसाराम पुत्र भैराराम
3. मानाराम पुत्र भैराराम
4. सोनी पत्नी भैराराम
5. करनाराम पुत्र जोराराम
6. खेमाराम पुत्र जोराराम
7. चौखाराम पुत्र जोराराम
8. लाखाराम पुत्र जोराराम
9. देवाराम पुत्र विशनाराम
10. मांगाराम पुत्र विशनाराम
11. भीखाराम पुत्र खेराजराम
12. शोभाराम पुत्र खेराजराम जाति जाट निवासी खारावाला, पोकरासर, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर
13. तहसीलदार चौहटन

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 763 दिनांक 09.03.2006 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री नारायण कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री रावताराम प्रजापत, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1, 3से12 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पो.संख्या 02 सूचना बावजूद अनुपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

Signature Not Verified

दिनांक : 17.12.2024

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट [illegible] भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 763 दिनांक 09.03.2006 के विरूद्ध पेश की गई।

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 13:29:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा खारावाला में खेत खसरा संख्या 550, 551, 552, 1065, 1066, 1098/558, 1100/558, 1109/562, 1111/562 कुल रकबा 307–11 बीघा एवं मौजा पोकरासर में खेत खसरा संख्या 722/517, 724/517, 725/518, 727/518, 729/518, 730/519, 732/519 कुल रकबा 47–06 बीघा भूमि खातेदारान पुनमा कुम्भा पिसरान रामा, लाधू हीरा पाबू भेरा हुकमा पिसरान उदा, सताराम पुत्र पेमा, गेना जोरा पुरखा पिसरान देवा, खेराज भेरा जोरा पिसरान भभूता, हीरा पुत्र गुणेशा, हडुमान पुत्र रेखा, भला पुत्र बस्ता, बाबुलाल पुत्र केहरा जाति जाट निवासी खारावाला व पोकरासर सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन प्रार्थना–पत्र पेश कर अपनी खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 23.02.2006 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी नेतराड की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार चौहटन द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 763 दिनांक 09.03.2006 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.07.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट्स ने निवेदन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी एवं पैतृक मौजा खारावाला में खेत खसरा संख्या 550, 551, 552, 1065, 1066, 1098/558, 1100/558, 1109/562, 1111/562 कुल रकबा 307–11 बीघा एवं मौजा पोकरासर में खेत खसरा संख्या 722/517, 724/517, 725/518, 727/518, 729/518, 730/519, 732/519 कुल रकबा 47–06 बीघा भूमि में आई हुई है। उक्त भूमि में अपीलांटगण का संयुक्त 1/3 हिस्सा व उतरदाता संख्या 2व3 का संयुक्त 2/3 हिस्सा खातेदारी में बनता है तथा इन्ही हिस्सों माफिक काबिज है। पक्षकारान अपने हिस्सानुसार अपने –अपने बंट अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते है। पक्षकारान का पूर्व में मौखिक रूप से बाहमी बंटवारा किया हुआ है। इसी बंटवारा के अनुसार मौके पर काबिज है जिस पर पक्षकारान की ढाणी [illegible] चारा बाड़े इत्यादि बने हुए है। उक्त अपीलाधीन आराजी [illegible] पक्षकारान के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो जाने से बंटवारा करने का निर्णय लिया गया। सभी पक्षकारान हल्का पटवारी के पास जाकर मौके पर पूर्व में मौखिक बंटवारा के आधार पर काबिज अनुसार बंटवारा करने को कहा गया तब हल्का पटवारी के द्वारा विभाजन प्रार्थना के खाली दस्तावेज पर पक्षकारान के हस्ताक्षर व अंगुठे लिये तथा हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 13:29:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पटवारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपके मौके पर काबिज अनुसार ही बंटवारा किया जायेगा। उतरदातागण ने पटवारी हल्का को अपने प्रभाव में लेकर मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा नहीं करवाकर गलत तरीके से करा दिया, जिससे अपीलाण्ट के हिस्से में कम रकबा तथा स्वयं ने हिस्से से अधिक रकबा प्राप्त कर लिया गया न ही वक्त बंटवारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करते समय हमें सभी खातेदारान को उपस्थित किया गया। जिस कारण उक्त आदेश अपास्त योग्य है।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अर्सा 20–25 दिन पूर्व उतरदातागण द्वारा हमारे को रहवासी ढ़ाणी हटाने की धमकियां देने व काश्त करने से मना करने पर अपीलाण्टगण द्वारा राजस्व रेकर्ड की जानकारी ली जिसकी प्रतिलिपि मिलने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि अपीलाधीन आराजी का गलत रूप से बंटवारा कर दिया गया। इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का आदेश फरमाने का भी निवेदन किया है।

6. रेस्पोडेंट्स की और से उपस्थित अधिवक्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद कोई ठोस प्रतिरक्षण स्वरूप तथ्य एवं अभिकथन प्रकट नहीं किये गये, लिहाजा रेस्पोडेंट्स की ओर से मौन सहमति होना प्रतीत होता हैं।

7. हमने अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा खारावाला में खेत खसरा संख्या 550, 551, 552, 1065, 1066, 1098 / 558, 1100 / 558, 1109 / 562, 1111 / 562 कुल रकबा 307–11 बीघा एवं मौजा पोकरासर में खेत खसरा संख्या 722 / 517, 724 / 517, 725 / 518, 727 / 518, 729 / 518, 730 / 519, 732 / 519 कुल रकबा 47–06 बीघा भूमि खातेदारान पुनमा कुम्भा पिसरान रामा, लाधू हीरा पाबू भेरा हुकमा पिसरान उदा, सताराम पुत्र पेमा, गेना जोरा पुरखा पिसरान देवा, खेराज भेरा जोरा पिसरान भभूता, हीरा पुत्र गुणेशा, हडुमान पुत्र रेखा, भला पुत्र बस्ता, बाबुलाल पुत्र केहरा जाति जाट निवासी खारावाला व पोकरासर सा. देह के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन प्रार्थना पत्र पेश कर अपनी खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु दिनांक 23.02.2006 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी नेतराड की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार चौहटन द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 763 दिनांक 09.03.2006 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 13:29:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

दिनांक 05.07.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि उतरदातागण ने समस्त सहखातेदारान को विश्वास में लेकर कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा करने का कहकर हस्ताक्षर/अगुष्ठ करवायें गये। अपीलाण्टगण अनपढ़ हैं जिसके अज्ञानता का फायदा उठाकर विभाजन प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर/अगुष्ठ करा दिये गए। तत्पश्चात् उतरदातागण के द्वारा बंटवारा मौके पर काबिज अनुसार तैयार न कराते हुए अपनी मनमर्जी से अधिक उपजाऊ व किस्म वाली भूमि अपने नाम से इन्द्राज करवाकर अपने हिस्से से अधिक भूमि अपने नाम करवा दी गयी। विभाजन पक्षकारान के मौके पर काबिज अनुसार नहीं हैं तथा राजस्व रेकर्ड में हिस्से अनुसार रकबा भी बराबर नहीं हैं। अपीलाधीन आदेश उतरदातागण द्वारा पटवारी हल्का को अपने प्रभाव में लेकर गलत तरीके से पारित किया गया जो निरस्त योग्य हैं। रेस्पोडेंट्स की और से उपस्थित अधिवक्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद कोई ठोस प्रतिरक्षण स्वरूप तथ्य एवं अभिकथन प्रकट नहीं किये गये, लिहाजा रेस्पोडेंट्स की ओर से मौन सहमति होना प्रतीत होता हैं। अपीलाधीन विभाजन के फलस्वरूप अपीलांट के कब्जे की भूमि मौके पर रेस्पोडेंट्स के हिस्से में है लिहाजा अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौहटन द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 763 दिनांक 09.03.2006 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार चौहटन को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 17.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 13:29:51 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर